(2)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

5 रु. भारत पाँच रुपए | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | भारत INDIA TWENTY RUPEES

आर–602/III/08

Rs.30/—

M 5029-II/17

नगीना देवी पत्नी सीताशरण जाति कोल, निवासी ग्राम रेक्सहा, तह0 त्योथर, जिला रीवा म0प्र0

—————निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम्

रामनिहोर तनय मीरूकोल, निवासी ग्राम रेक्सहा, तह0 त्योथर, जिला रीवा म0प्र0

————अनावेदकगण

आवेदन पत्र, न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म.प्र.) के निगरानी प्रकरण कमांक आर–602/III/08 मे पारित निर्णय दिनांक 29.09.2008

लिपकीय त्रुटि संशोधन किये जाने बावत्।

श्री डी. एस. ओझा, एड0 द्वारा पेश। 19-1-17

मान्यवर

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार है :–

1– माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रकरण श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 320/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2008 के विरूद्ध दायर की गयी थी। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 29.09.2016 को आदेश पारित किया गया।

2– मामले में वसीयतनामे के आधार पर आवेदिका /निगरानीकर्ता द्वारा तहसील न्यायालय त्योथर रीवा में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुंत किया गया था। जो आदेश दिनांक 08.08.2005 को स्वीकार किया गया। उसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी और उसमें दिनांक 30.12.06 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 5029–दो/17 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
15.3.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 ओझा उपस्थित होकर लिपिकीय त्रुटि का संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी 602–तीन/08 में पारित आदेश दिनांक 29.9.16 द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर तहसीलदार त्योंथर वृत रायपुर जिला रीवा का स्वीकार किया गया है। 2– उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि निगरानी 602–तीन/08 में पारित आदेश दिनांक 29.9.16 के आदेश की कंडिका क्रमांक 3 के अंतिम लाइन में तहसीलदार तहसील त्यौथर वृत रायपुर जिला रीवा का आदेश दिनांक 08.08.2005 के स्थान पर 30.03.2006 लिपिकीय त्रुटि से टंकित हो गया है। अतः 30.03.06 के स्थान पर 08.08.2005 अंकित किये जाने का अनुरोध किया है। 3– मेरे द्वारा मूल आदेश दिनांक 29.09.16 के आदेश की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश की कंडिका क्रमांक 3 के अंतिम लाइन में तहसीलदार तहसील त्यौथर वृत रायपुर जिला रीवा का आदेश दिनांक 30.03.2006 के स्थान पर आदेश दिनांक 08.08.2005 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	